प्रेस नोट
दिनांक 31.03.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त बी0एस0ए0 कार्यालय में कार्यरत बाबू को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–884/25, धारा 318, 352, 351(3) बीएनएस व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त प्रेमशंकर मिश्रा पुत्र नागेन्द्र मिश्रा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 04.11.2025 को मा0 न्यायालय श्रीमान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश /भ्र0नि0 कोर्ट संख्या–5 गोरखपुर के निर्देश पर थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें वादी मनोज पाण्डेय पुत्र राम इन्दर पाण्डेय नि0 ग्राम किन्की, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा द्वारा बताया गया कि वह जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों को फर्नीचर सप्लाई करने का कार्य करता है। वर्ष 2024 में बेसिक शिक्षा विभाग, गोण्डा द्वारा शासनादेश के अनुपालन में परिषदीय विद्यालयों हेतु फर्नीचर (डेस्क–बेंच) की खरीद हेतु जेम पोर्टल पर निविदा प्रकाशित की गई, जिसमें प्रार्थी की फर्म का चयन हुआ। प्रार्थी का आरोप है उसे दिनांक 04.01.2025 को अभियुक्त अतुल कुमार तिवारी (बीएसए) द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से प्रार्थी को अपने आवास पर बुलाया गया। वहाँ अभियुक्तगण द्वारा लगभग ₹15 करोड़ के कार्य के एवज में 15 प्रतिशत कमीशन (लगभग ₹2.25 करोड़) की मांग की गई। साथ ही ₹50 लाख अग्रिम देने का दबाव बनाया गया, जिसके तहत प्रार्थी ने ₹22,00,000/– अतुल तिवारी तथा ₹4,00,000/– प्रेम शंकर मिश्रा व विद्याभूषण मिश्रा को दिए, शेष धन हेतु दबाव बनाए रखने के लिए नियम विरुद्ध डीडी ₹50,38,545/– वापस की गई, परंतु भुगतान न कर पाने पर प्रार्थी के साथ गाली–गलौज, धक्का–मुक्की कर कार्यालय से निकाल दिया गया, जेम पर आपत्ति लगाकर ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी गई तथा बाद में केवल ₹1,00,000/– वापस कर शेष धन हड़प लिया गया और फर्म को 2 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर गंभीर आर्थिक क्षति पहुँचाई गई। प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही थी। विवेचना में दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्तों में विद्याभूषण मिश्रा को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त प्रेम शंकर मिश्रा को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा कल दिनांक 30.03.2026 को उनके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. प्रेमशंकर मिश्रा पुत्र नागेन्द्र मिश्रा निवासी गायत्रीपुरम मानस बिहार कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–884/2025 धारा 318(4),352,351(3) बीएनएस व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 अजय कुमार तिवारी।
02. कां0 देव कुमार

03. कां0 संदीप कुमार

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 31.03.2026

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना खरगूपुर की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी 50,000/– रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः–

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में थाना खरगूपुर की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि **50,000/–** पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आवेदक फैज अहमद नि0 भटपुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर की साइबर हेल्प डेस्क में साइबर फ्रॉड गयी उसकी 50,000/– रू0 की शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिसपर थाना खरगूपुर की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित के 50,000/– रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना खरगूपुर की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट– साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स–

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 31.03.2026</u>

<u>जनपदीय पुलिस से अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने वाले 02 अधि0/कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त, पुलिस लाइन स्थित सभागार में सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा शॉल व फूल–माला पहनाकर उज्ज्वल भविष्य की दी गई शुभकामनाएं–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 31.03.2026 को जनपद गोण्डा पुलिस से 01 उ0नि0 व 01 एच0ओ0 अपनी अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान पुलिस लाइन गोण्डा स्थित सभागार कक्ष में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सहायक पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक दवाच्या द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को शॉल व फूल–माला पहनाकर, शील्ड व अन्य धार्मिक पुस्तके भेंट करते हुए विदा किया गया। महोदय द्वारा सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों से सेवानिवृत्त होने पर उनके द्वारा पुलिस विभाग को दिये गये योगदान की सराहना की गयी एवं सेवानिवृत्ति उपरांत भी पुलिस विभाग का यथासंभव सहयोग करने की अपेक्षा की गयी तथा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी।

<u>इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी आर0आई श्री अजय प्रताप सिंह, सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण एवं सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के परिवारीजन मौजूद रहे।</u>

<u>सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मियों का विवरण–</u>
01. उ0नि0स0पु0 श्री राजेश कुमार सिंह।
02. एच0ओ0 श्री जगराम वर्मा।

<u>मीडिया सेल गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 31.03.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व रूपये 35,000/– अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 06.12.2020 को थाना नवाबगंज में नाबालिग लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने तथा विपक्षी द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें नवाबगंज पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त जयप्रकाश यादव उर्फ जे0पी0 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण–
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना नवाबगंज में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रवीण आर्या व थाना नवाबगंज के पैरोकार का0 अरूण कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 31.03.2026 को दोषी अभियुक्त जयप्रकाश यादव उर्फ जे0पी0 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्री निर्भय प्रकाश द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 35,000/– रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्त का नाम पता–
01. जयप्रकाश यादव उर्फ जे0पी0 पुत्र देवीप्रसाद नि0 चकरसूल थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–
01. मु0अ0सं0–494/20, धारा 363,366,376 भादवि व 5(1)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 31.03.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी हत्याभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपये 70,000/– रू0 के अर्थदण्ड की सजा–

वादिनी कमला देवी पत्नी स्व. सरजू निवासी ग्राम बिरौरा मोहन थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 26.04.2020 को अपने 09 वर्षीय पुत्र तिलकू के पीपल के पेड़ (चन्दानी भट्ठा के पास) से लापता होने संबंधी सूचना दी गई, जिसके आधार पर थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। गुमशुदा बालक की तलाश हेतु पुलिस टीम गठित कर संभावित स्थानों पर खोजबीन, स्थानीय व्यक्तियों से पूछताछ तथा जनपद के समस्त थानों को सूचना प्रेषित की गई। गुमशुदा बच्चे की लाश चन्दानी भट्ठा के पास स्थित एक बाग से मिली थी। जिसके सम्बन्ध में थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या करने के आरोपी अभियुक्त राजकपूर उर्फ कपूरे(गुमशुदा का भाई) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना को0 देहात में हत्या सम्बन्धी पंजीकृत अभियोग में अभियोजक श्री अमित पाठक, थाना को0 देहात के पैरोकार का0 रामअनुज व कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 शिवपाल के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार तृतीय द्वारा अभियुक्त राजकपूर उर्फ कपूरे को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 70,000/– रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता–

01. राजकपूर उर्फ कपूरे पुत्र स्व0 सरजू नि0 खिरौरा मोहन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–152/2020, धारा 302,201 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 31.03.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 044/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 351(3) बीएनएस व मु0अ0सं0 045/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मोहम्मद असलम पुत्र मौला बक्श, निवासी मरचौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को जानकीपुरम लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 02.01.2026 को भुवन चन्द्र सती, सहायक महाप्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि० शाखा गोण्डा, पता लाला छोटे लाल का हाता, स्टेशन रोड, महरानीगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि गोण्डा शाखा में ऋण वितरण के दौरान गंभीर अनियमितता एवं धोखाधड़ी की गयी है। उल्लेख किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक में इम्पैनल्ड चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा कराये गये स्पेशल ऑडिट की अन्तरिम रिपोर्ट एवं दिनांक 02.01.2026 की गठित कमेटी की संस्तुति के परीक्षण में प्रकाश में आया कि अभियुक्त पवन कुमार पाल (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक) द्वारा बैंक के अन्य कार्मिकों व खाताधारकों के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से गिरोह बनाकर बैंक की नीति एवं आरबीआई/नाबार्ड के दिशा–निर्देशों के विरुद्ध ऋण स्वीकृति व वितरण किये गये। जांच में यह भी पाया गया कि अभियुक्त द्वारा स्वयं, अपने परिवारजनों एवं गिरोह के सदस्यों को बिना पात्रता एवं आवश्यक अभिलेखों के ऋण वितरित किये गये तथा फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर बैंक के 205 खाताधारकों के ऋण व बचत खातों एवं 05 आन्तरिक खातों से कुल रु0 2147. 78 लाख की धनराशि का विभिन्न बैंकिंग चौनलों के माध्यम से दुर्विनियोग/अपहरण किया गया । जिसमें 05 आन्तरिक खातों से अनधिकृत रूप से रु0 46.13 लाख की धनराशि निकाल कर गबन किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें वांछित चल रहे वांछित अभियुक्त मोहम्मद असलम पुत्र मौला बक्श, निवासी मरचौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को जानकीपुरम लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मोहम्मद असलम पुत्र मौला बक्श, निवासी मरचौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 044/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 045/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. अति0प्र0नि0 सभाजीत सिंह
02. उ0नि0 उदित कुमार वर्मा
03. कां0 आदर्श तिवारी
04. कां0 प्रभाकर यादव

मीडिया सेल, गोण्डा